

2023/2

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
02/023	53,188 RTA	आंचोली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कालू	बनाम	मांगीलाल	
वकील :- हेमन्त पारीक	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
9.01/23	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/2/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
20/2/23	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 15/3/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
15/3/23	<p>अभिभाषक उप 23/2/23 को पेश होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/4/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
12/23	<p>पत्रावली मरक केचो के वाद पूर्ववत स्थिति में आज पेशा हुई। वकील वादी उपर। प्रतिवादी एक 1, 2 के वाद लामील समत प्राप्त। प्रतिवादी एक 1 वावगुड धुचन के अउपस्थित रहे है इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाते है पत्रावली वाले सातपवादी दिनांक 5/9/23 को पेश हो।</p>	

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

17-12-24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं हैं। न्यायालय के कक्ष-रुख कर तीन बार कोर्ट लगेवाई गई। कार्यवाही (अधिसूचना) होने तक इंतजार किया गया। कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रकरण बहुत दायरे बहुत परती के खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेशल सुधार होकर साखिल सुधार हो।

↓